SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र सं:26/2021 **15 फरवरी 2022**

विषय: यूरोपीय संघ (ईयू) को मसालों के निर्यात हेतु एथिलीन ऑक्साइड के लिए अनिवार्य परीक्षण एवं शासकीय प्रमाणपत्र- दिनांक 06 जनवरी 2022 के पहले प्रेषण किए गए परेषण केलिए खाने के लिए तैयार (आर टी ई) उत्पादों पर सलाह, परीक्षण रिपोर्ट जारी करना एवं यूके के लिए ई टी ओ शासकीय प्रमाणपत्र की अनुप्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण-बाबत

संदर्भ : 1. स्पाइसेस बोर्ड परिपत्र सं.24/2021 दिनांक 2 फरवरी, 2022 एवं परिपत्र सं.25/2021 दिनांक 9 फरवरी, 2022

2. यूरोपीय संघ विनियम सं. 2021/ 2246

****

एथिलीन ऑक्साइड के लिए अनिवार्य परीक्षण एवं यूरोपीय संघ (ई यू) को मसाले निर्यात करने के लिए शासकीय प्रमाणपत्र के प्रारंभ को सूचित करने वाले स्पाइसेस बोर्ड की परिपत्र सं. 24/2021 दिनांक 2 फरवरी, 2022, जो 7 फरवरी 2022 से प्रभावी है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

परिपत्र 24/2021 के अनुसार, एच एस कोड/सी एन कोड 2103 के तहत आने वाले उत्पादों के मामले में शासकीय प्रमाणपत्र एवं अनिवार्य परीक्षण केवल उन उत्पादों, जिसमें (चार अंकवाले) एच एस कोड/सी एन कोड 0904 से 0910 तक आने वाले मसाले 20 प्रतिशत के अधिक मात्रा में शामिल होते हैं, के लिए निर्धारित किया गया था।

इस दौरान, बोर्ड को यह सूचित किया गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के कुछ पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरणो अध्याय 2103 (खाने के लिए तैयार उत्पादों के शामिल करते हुए) के तहत आने वाले सभी उत्पादों के लिए ई टी ओ हेतु शासकीय प्रमाणपत्र के लिए ज़ोर दे रहे हैं जिसमें किसी भी मात्रा में (बनावट प्रतिशत का विचार किए बिना) एच एस कोड/सी एन कोड 0904 से 0910 तक आने वाले मसाले शामिल होते हैं।

इस पर यूरोपीय संघ द्वारा एक शासकीय पुष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। इसके दौरान, सभी निर्यातक, जो अध्याय 2103 के तहत आने वाले उत्पादों (खाने के लिए तैयार उत्पादों को शामिल करते हुए) का निर्यात करना चाहते हैं, को परिपत्र 24/2021 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करके इसके निर्यात के लिए शासकीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है

आगे, परिपत्र सं.25/2021 दिनांक 9 फरवरी, 2022, के अनुसार बोर्ड ने यह सूचित किया है कि 6 जनवरी 2022 के पहले प्रेषित किए गए परेषण के लिए यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किए गए 17 फरवरी 2022 तक

की संक्रमणकालीन अवधि इस शर्त के अधीन है कि एसे परेषण 100 प्रतिशत शासकीय नियंत्रण के अधीन है जिसमें सीमा नियंत्रण चौकियों (बीसीपी)में नमूनन एवं प्रयोगशाला विश्लेषण शामिल है।

निर्यातकों ने सूचित किया है कि यूरोपीय संघ बी सी पी में नमूनन एवं परीक्षण में अधिक लागत एवं समय लगता है और उन परेषण के मामले में जिनके लिए अनिवार्य नमूनन एवं परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेषणपूर्व नमूने बोर्ड द्वारा पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और बोर्ड के साथ जिनके काउंटर नमूने उपलब्ध है बोर्ड से ई टी ओ के लिए परीक्षण रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया है। 6 जनवरी 2022 के पहले प्रेषित किए गए और 17 फरवरी 2022 के संक्रमण कालीन अवधि के भीतर यूरोपीय संघ पहूँचने वाले परेषण के मामले में, निर्यातकों द्वारा सूचित किया गया है कि कुछ ईयू बीसीपी के प्राधिकरण बोर्ड, भारत के शासकीय सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसी ईटीओ परीक्षण प्रतिवेदन को स्वीकार करने पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए, यूरोपीय संघ बी सी पी में निकासी सुकर बनाने के लिए एवं बोर्ड के पास उपलब्ध "काउंटर नमूने" के आधार पर साफ अभ्युक्ति के साथ परीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के लिए निर्यातकों की मांग पर बोर्ड द्वारा ऐसे काउंटर नमूनों का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। यह नोट किया जाए कि एसे मामलों में बोर्ड केवल ई टी ओ परीक्षण रिपोर्ट जारी करेगा न कि शासकीय प्रमाणपत्र (स्वास्थ्य प्रमाणपत्र)।

निर्यातक जो इस सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, बोर्ड के संबंधित नमूना प्राप्ति डेस्क/प्रादेशिक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आगे, यह नोट किया जाए कि काउंडर नमूने का परीक्षण एवं बोर्ड द्वारा परीक्षण रिपोर्ट का जारी करना केवल तेज़ निकासी के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है और किसी भी स्थिति पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त परीक्षण के बिना 6 जनवरी 2022 के पहले प्रेषित किए गए और 17 फरवरी 2022 के संक्रमणकालीन अवधि के भीतर यूरोपीय संघ पहूँचने वाले परेषण का यूरोपीय संघ के बी सी पी में निकासी की गारंटी नहीं दी जाएगी।

आगे, यूनाइटेड किंगडम (यू के) को निर्यात के मामले में, बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में यू के को मसाले निर्यात करने के लिए ई टी ओ के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है। तथापि, यू के खरीदारों से विचारणीय माँग के संबंध में निर्यातकों से मिली प्रतिपुष्टी के आधार पर 0904 से 0910 एवं 2103 तक के एच एस कोड/सी एन कोड के तहत आने वाले मसालों के निर्यात के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

यह परिपत्र स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1989 एवं स्पाइसेस बोर्ड विनियम (निर्यातकों के पंजीकरण)1989 के प्रावधान के अंतर्गत जारी किया है।

निदेशक (विपणन)

मसाले एवं मसाले उत्पादों के सभी निर्यातक/निर्यातक संघ

(फाइल सं.SRD-SS/03/0002/2019, कंप्यूटर सं.15622 से जारी किया गया)

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com